Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal
(Journal No. 40776)

ISSN 2277 - 5730

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

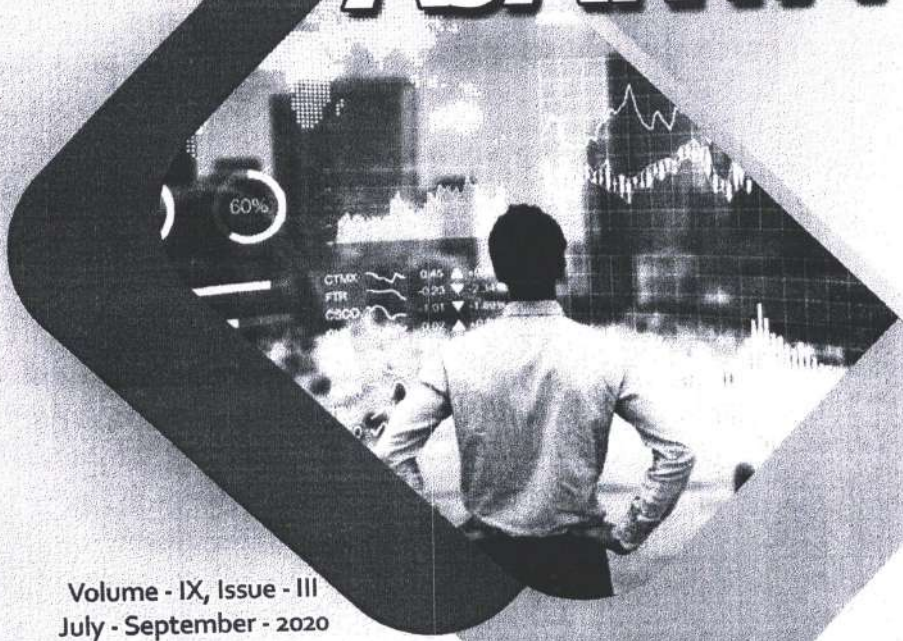

Volume - IX, Issue - III
July - September - 2020
Marathi / Hindi Part - I

Impact Factor / Indexing
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

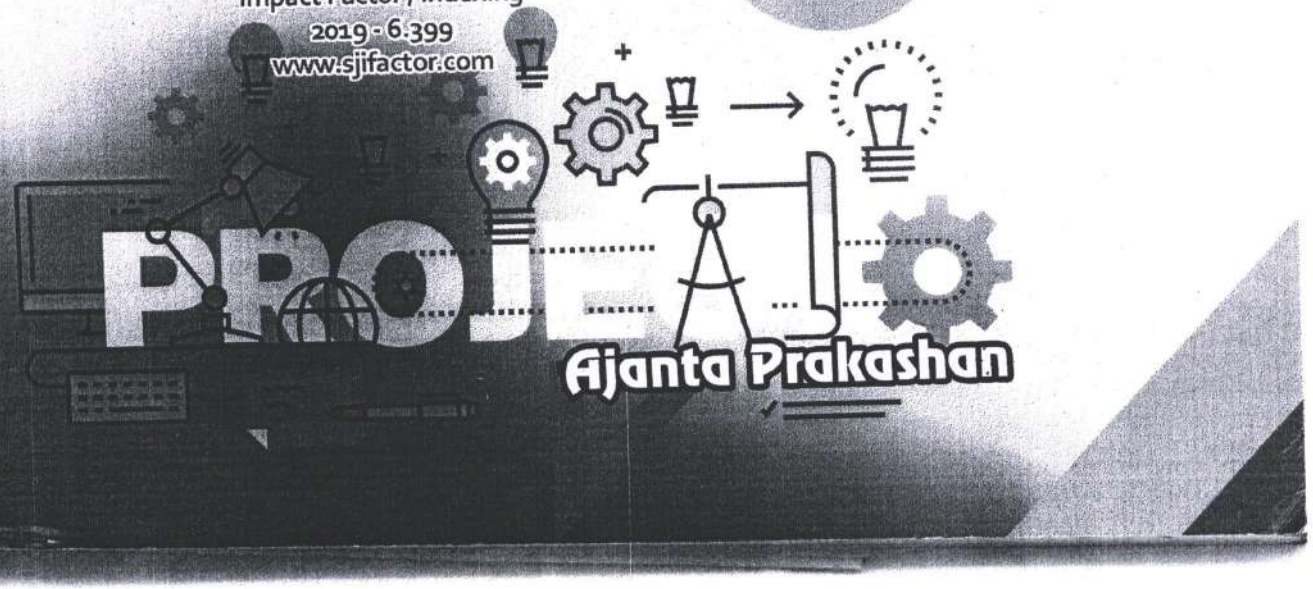

Ajanta Prakashan

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX Issue - III JULY - SEPTEMBER - 2020

MARATHI / HINDI PART - I

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖
Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole
M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

CONTENTS OF HINDI PART - I

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	कमलेश्वर के 'उपन्यास कितने पाकिस्तान' में वर्णित विभिन्न समस्याएँ **डॉ. रावसाहेब आर. जाधव** **डॉ. मंत्री आर. आडे**	१-५
२	हिंदी गजल साहित्य का स्वरूप एक अध्ययन **नम्रता विश्वांभरराव वावळे**	६-१२
३	उत्तर भारत की संत परम्परा : सवाल, संघर्ष, प्रतिरोध की आवाजें एवं सामाजिक परिवर्तन **अर्चना कुमारी**	१३-१७
४	वेश्यावृत्ति : नैतिकता तथा वैद्यता **डॉ. यामिनी पड़ियार**	१८-२२
५	मीडिया के बदलते परिमान : सामाजिक सरोकार **सहा. प्रो. शीतल श्रीनिवासन बियाणी**	२३-२५
६	राष्ट्रीय विकास में संगीत शिक्षा की भूमिका **डॉ. राजीव बोरकर**	२६-२८
७	आँचलिक उपन्यासकार रांगेय राघव **प्रा. डॉ. गिरि डी. व्ही.**	२९-३२
८	मासिक धर्म : एक चुनौती (विशेष संदर्भ : जनजातीय महिलाएं) **डॉ. पिंकी शर्मा** **प्रो. पूरण मल यादव**	३३-३९
९	भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ : एक चिंतन **प्रा. डॉ. आर. जी. बांबोळे**	४०-४५

VOLUME - IX, ISSUE - III – JULY – SEPTEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

९. भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ : एक चिंतन

प्रा. डॉ. आर. जी. बांबोळे
सहयोगी प्राध्यापक, भारतीय महाविद्यालय, मोर्शी, जि. अमरावती.

प्रस्ताविक

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवी अधिकारों का प्रसार तथा संरक्षण की प्रकिया संयुक्त राष्ट्र के निर्माण से प्रारम्भ हुआ है। मानव अधिकारों के संदर्भ मे संयुक्त राष्ट्र निरंतर सक्रीय और कार्यशील है। मानवी अधिकारों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से व्यवस्था विकसित करके यह मानवाधिकार का विषय संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्रों से बाहर निकालनेमें संयुक्त राष्ट्र का बहुत बडा योगदान माना जाता है। मानवी अधिकार मानव जात के विकास के लिए और मानव के सन्मान और प्रतिष्ठा तथा दर्जा के लिए मौलीक बात रही है। दुनिया की सभी मानव जात अपने अधिकारों के लिए जागतिक स्तर पर दिनोंदिन कोशिश करके विभिन्न मार्गोसे संघर्ष शुरु रखा है। मानवी अधिकारो के संदर्भ में 1215 में मॅग्नाकार्ट, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1628 का पिटिशन ऑ राइटस् 1689 का बिल ऑफ राइटस्, 1776 का अमेरिकन स्वतन्त्रता घोषणापत्र, 1789 का फ्रान्स का मानवी अधिकारो सम्बन्धी घोषणा और 1948 का संयुक्त राष्ट्र का मानवी अधिकारों का घोषणापत्र आदि घटनाएँ मानवी अधिकार प्राप्त करने के लिए इतिहास के संघर्षो के महत्वपूर्ण सीढीयॉ मानी जाती है।

भारत में मानवी अधिकारों को सांविधानिक स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के तिसरे और चवथे प्रकरण में इस संदर्भ में मानव के भविष्य के लिए कुछ इंतजाम याने शर्ते रखी है। भारतीय संस्कृती की परम्परा मानी जाती है। भारतीय परम्परा का निर्माण अनेक विश्वासों एवं धर्मो के संमिश्रण से बना हुआ है। प्राचीन भारत मे शस्त्र सम्मत मूल्यों का अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति करते आया है। भारतीय परम्परा में पुरुषों को अधिक स्थान, दर्जा दिया गया है। सर्वसाधारण रुप से समाज में महिलाओं को हमेशा दुय्यम स्थान दिया गया है। इसके परिणाम स्वरुप महिलाओं को अधिक संघर्ष मानवी अधिकारों के लिए करना पडता है। संविधानिक प्रावधान और कानून होने के बावजूद भी महिलाओं के अधिकारों का हनन निरन्तर होता है और महिलाओं पर होनेवाले अन्याय, अत्याचार दिनोंदिन बढते जानेवाले घटनाएँ महिलाओं के संदर्भ अधिकतम होती है। भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ इस विषय के संदर्भ में भारत की महिलाओं के मानव अधिकार के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिती का अध्ययन करना है।

- **विषय का उद्देश्य :** महिला अधिकारों के वैधानिक स्थिति और वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है।
- **परिकल्पना :** आजादी के बाद भी महिला अधिकारों का हनन तथा उल्लंघन होते जा रहा है।
- **मानव अधिकार और हमारे संविधान में विशेष प्रावधान :**

विश्व के विभिन्न संविधानों में अधिकारों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान में निहित अधिकार मानव अधिकारों के समान है। भारत के संविधान में धर्म, जात, वंश, लिंग, वर्ण और रंग के आधारपर भेदभाव न करते हुए भारत के सभी लोगों को समान माना जाता है। बल्कि, राजनीतिक, नागरि, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक

VOLUME - IX, ISSUE - III – JULY – SEPTEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

भारतीय दंड संहिता (Indian Pinal Code) के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन, छेडछाड, अपहरण, बलात्कार तथा हत्या जैसे अपराधिक मामले दंडसंहिता अनुसार शिक्षापात्र मानते है। इस सम्बन्धी भारतीय दंड संहिता का प्रावधान 363, 366ए, 354, 509, 367, 373, 376 और 377 इन अनुच्छेदो मे शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के असभ्य प्रदर्शन रोखने सम्बन्धि भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 242, 293 और 294 में प्रावधान किया है। महिलाओं के मानव अधिकारों के संरक्षण बनाये रखने हेतु भारतीय दंड संहिता अनुच्छेद 98, 51–2 एवं 167 संदर्भ में 1990 साल में महिला आयोग अधिनियम बनाया गया। महिला आयोग अधिनियम के अनुसार 1992 साल में राष्ट्रीय महिला आयोग निर्माण किया गया है। मानव अधिकारों का भंग करने के सन्दर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग सकीय ढंग से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। महिला बन्दिगृह में और पुलिस संरक्षणों मे मानव के अधिकारों का उल्लंघन यदी किया जाता है, तो बन्दीगृह के अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी के विरोध में कारवाई करने का अधिकार ही राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग को ही है। भारत के महिलाओं को स्वन्तत्रता, समानता एवं न्याय प्राप्त करने के उद्देश से और महिलाओं पर होनेवाले अन्याय, अत्याचार, शोषण रोखने के हिसाब से महिलाओ का सशक्तीकरण करने के लिए सकारात्मक भावना रख के और अच्छे सुझॉव निर्धारित करके राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का अधिक भागीदारी बृध्दिंगत हो उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का योगदान देने का महत्व का उद्देश है ऐसा दिखाई पडता है।

भारत मे महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक स्थिति

भारत देश में महिलाओं के स्थिती के सन्दर्भ मे अनेक चढाव उतार तथा बदलाव आये है। भारत के वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर के याने समान स्थान प्राप्त होता था। वेदों मे नारी को याने महिलाओं को सन्मानजनक उच्च स्थान प्रदान करते हुए महिलाओं की तुलना ब्रम्ह से की है। ब्रम्ह स्वयंज्ञान के अधिष्ठाता है। इसीप्रकार महिलाएँ स्वयं ज्ञानवान होते हुए अपनी सन्तान को भी सुशिक्षित बनाती है। स्त्री हि ब्रम्ह वभुषिथ (ऋग्वेद)। वैदिक साहित्य में स्त्री एवं पुरुष को एक दुसरे का पूरक समझाा गया है। प्रत्येक देवता के साथ महिलाओं की दैवीय शक्ति की भी कल्पना की गयी है। वैदिक काल की महिलाएँ अपना गृहस्थ जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करने के साथ ही साथ विपत्ति आने पर युध्द क्षेत्र में भी सहयोग दिया करते थे। मानव अधिकारों की दृष्टि से महिला और पुरुष में भेद करना उतना ही अयोग्य है, जितना कि बालों के रंग या चमडी के आधार पर भेदभाव करना है। किसी भी सभ्य समाज और सुसंस्कृत समाज मे स्वतन्त्रता और मानव अधिकार के दृष्टि से महिला और पुरुष में कोई भेद नही किया जाता। क्योंकि, महिला और पुरुष के लिए समान अधिकार एक सुसंस्कृत समाज की कसौटी मानी जानी चाहिए।

महिलाओं के क्षमताओं के बारे में **स्वामी विवेकान्दजी कहते है,** "राष्ट्र बनाने के लिए यदि आप मुझे पॉच सौ पुरुष दे, तो मैं राष्ट्र को एक वर्ष मे बदल दूँगा, परन्तु यदि मुझे पचास महिलाएँ दे, तो मै कुछ ही महिनों में देश को बदल दूँगा।" इसका मतलब यह होता है कि, स्वामी विवेकानन्दजी ने महिलाओं की क्षमताओं को जानकर भी पहचानते थे। महिलाओं में पुरुषों से अधिकतम कार्य करने की योग्यता और क्षमताएँ होती है, लेकिन, हमारे भारतीय

VOLUME - IX, ISSUE - III – JULY – SEPTEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

अत्याचार के प्रति विरोध करने की ताकद बढती है। ग्रामीण और शहरी भागों में महिलाओं की लिखने पढने की योग्यता याने साक्षरता का अनुपात ग्रामीण साक्षरता का 59 और शहरी भागों में यही अनुपात 80 औसत है महिलाओं के उपर होनेवाले अत्याचार अन्याय के सम्बन्धि सबसे बुरी बात यह है की, याने पारिवारिक हिन्सा से होनवाले अन्याय, अत्याचारो से महिलाएँ शोषित, पीडित बनती जा रही है। एक अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय महिला पारिवारिक हिन्सा से शोषित पीडित है। इसप्रकार भारतीय महिलाओं पर होनेवाला शोषण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से सामर्थ्यशाली, वैभव संपन्नता रहनेवाले लोगों के व्दारा की जाता है। 'महिलाओं को सर्वाधिक मारपीठ बिहार इस राज्य में की जाती है।' उसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में याने आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश एवं तामिळनाडु इस राज्यों का कमांक आता है। लेकिन, बिहार राज्य में इस प्रकार घटनाएँ 59 प्रतिशत अकेले बिहार और उत्तरप्रदेश में मानव अधिकार उल्लंघन के देश के 54 प्रतिशत मामले प्रतिवर्ष दर्ज कीये जाते है। महिलाओं के प्रति दहेज, हत्या बलात्कार और छेडखानी की घटनाएँ भी प्रतिवर्ष बढ रही है। **"अमेरिका की ह्युमन राइटस् वाच"** संस्था ने महाराष्ट्र में दलित महिलाओं के उत्पीडन की घटनाओं का खुलासा किया है।" मानव संसाधन मन्त्रालय के महिला एवं बालविकास विभाग के अनुसार भारत देश में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला बलात्कार, 51 मिनट में छेटखानी की घटनाएँ 26 मिनिट में गैरवर्तन तथा 102 मिनट में दहेज के लिए हत्या की जाती है। इसपर से ऐसा दिखाई पडता है कि आज भी भारत वर्ष में महिलाओं के प्रति देखने का पुरुषों का नजरिया गलत है। महिलाओं के अधिकारों का हनन तथा उल्लंघन पुरुषों व्दारा किया जाता है ऐसा मानना अनुचित नही होगा। यह बडी हमारी देश के महिलाओं के प्रति शर्मनाक बात है।

निष्कर्ष

भारत के आजादी के बाद भारत की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी नई आधुनिकता समाज में नये रुप से जागृकता लायेंगी और महिलाएँ पुरुषो की तरह समाज में समान अवसर पाकर एक नये समाज की संरचना में हाथ बटायेगी, लेकिन, दुर्भाग्य से वैसा नही हुआ है। भारत की महिलाएँ विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे आयी है और आज दिखाई दे रही है। पर महिला उत्पीडन, छेडखानी घटनाये कम नही हुई है। यह भी हमारे समाज की वास्तविकता को नकारा नही जा सकता। हालांकि, महिलाओं की उत्पीडन, शोषण के तौर तरिकों मे भले ही तफावत हो, फिर भी शहरी और ग्रामीण स्त्रियों समान रुप से अवहेलना, अपमान, उपेक्षित, महिलाओं का दमन, अधिकार का हनन की शिकार आज भी होती जा रही है। यहा हमारे महिला अधिकारों के हनन वास्तविकता मानी जाती है।

सुझॉव

1. बालविवाह जैसे कुप्रथाएँ के वजह से महिलाओं अधिकारों का होनेवाला हनन रोकने के संदर्भ में कानून में कठोर इंतजाम होनी चाहिए।
2. महिलाओं के ऊपर होनेवाले अत्याचारों के संदर्भ में पोलीस व्दारा सकारात्मक दृष्टि से अपनी भूमिका प्रभावी रुप से करनी चाहिए। क्योंकि रात के समय काम करनेवाले महिलाओं के लिए प्रवास में संरक्षण देना चाहिए।
3. महिला गर्भपात के सम्बन्धि के लिए स्त्री–पुरुष अनुपात निर्माण होने के कारण यह अन्तर कम करने के लिए राज्य स्तरोंपर उत्तेजित करनेवाले योजनाओं का अमल होना चाहिए।